संख्याः 6226/VII-2/353-उद्योग/04

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
ऊधमसिंहनगर/चम्पावत/पौडी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 31 जनवरी, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु जिला योजना डी0आई0सी0 के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण में प्रथम अनुपूरक मांग में व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध मे राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 405/रा0यो0आ0/जि0यो0/2007-08 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 के सदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु आयोजनागत पक्ष के डी0आई0सी0 के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण जिला योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग में व्यवस्थित धनराशि, जनपद ऊधमसिंहनगर हेतु रू0 37.55 लाख, जनपद चम्पावत हेतु रू0 10.00 लाख तथा जनपद पौडी हेतु रू0 3.00 लाख अर्थात कुल रू0 50.55 लाख (रुपये पचास लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि धनराशि के व्यय की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 405/रा0यो0आ0/जि0यो0/2007-08 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त की जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो, व्यय उन्ही मदों में किया जाये जिसमे धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स/टेन्डर/कोटेशन/डी0जी0एस0एण्ड डी0 के नियमों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांकः 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि का मदवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण शासन को उद्योग निदेशालय के माध्यम से प्रत्येक माह प्रेषित किया जायेगा।

5– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ये जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो और जिला योजना में अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय के अनुरूप ही हो।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–23 लेखाशीर्षक 4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 05–डी0आई0सी0 के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 16/XXVII(2)/2008 दिनांक 28 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 6226(1)/VII-2/353–उद्योग/04, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत/पौड़ी।
8. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, वित्त (बजट) उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2
12. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।